भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1068

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

कोहरे के कारण दुर्घटनाएं

1068. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएं कई कारणों से होती हैं जैसे कि तेज गति से गाड़ी चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग, नशे में गाड़ी चलाना/शराब और नशीली दवाओं का सेवन, गलत साइड पर गाड़ी चलाना / लेन की अनुशासनहीनता, लाल बत्ती पार करना, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, वाहन की स्थिति, मौसम की स्थिति, सड़क की स्थिति, चालक/साइकिल चालक/पैदल यात्री की गलती आदि। इस मुद्दे को हल करने के लिए, मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा संबंधी मुद्दे कासमाधान करने हेतु एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है और विभिन्न पहल की हैं। कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए उठाए गए प्रावधानों/पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 के नियम 124 में यह प्रावधान है कि सभी प्रकार के प्रकाश और प्रकाश सिग्नलिंग उपकरण, यथालागू एआईएस:010 (आरईवी.1) के अनुसार कार्य निष्पादन अपेक्षाओं और एआईएस:008 (आरईवी1) के अनुसार संस्थापन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।इसके अलावा, डीफ्रॉस्टिंग और डीमिस्टिंग सिस्टम की आवश्यकताएं, यदि फिट हों तो वे एएलएस:084 (भाग 1 और 2) के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करती हों।

ii. सीएमवीआर, 1989 का नियम 125बी राज्य सरकारों को पहाड़ी इलाकों में निर्दिष्ट मार्गों या क्षेत्रों पर चलने वाले चार-पहिया परिवहन वाहनों को फॉग लैंप और डीफ्रॉस्टिंग और डिमिस्टिंग सिस्टम से लैस करने के लिए अधिसूचित करने हेतु प्राधिकृतकरता है।

iii. सीएमवीआर, 1989 का नियम 189 वाहन की फिटनेस के समय एआईएस-008 या एआईएस-008 (आरईवी 1) के अनुसार फॉग लैंप (यदि फिट हो) के परीक्षण का प्रावधान करता है।

iv. इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कोहरे के मौसम में सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 03 जनवरी, 2024 को नीति परिपत्र जारी किया है।

v. कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए एनएच के किनारे डेलीनेटर्स, कैट्स आई, रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप सुरक्षा संकेतक बोर्ड, क्रैश बैरियर, सड़क चिह्नांकन आदि लगाने का प्रावधान।

vi. बढ़ी हुई दृश्यता के लिए रारा पर ट्रक/बस के किनारे, ग्रेड से अलग संरचनाओं के ऊपर और नीचे और इंटरचेंज क्षेत्रों में उचित रोशनीकी व्यवस्था का प्रावधान।

vii. मंत्रालय सड़क का उपयोग करने वालों के बीच सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा समर्थन योजना का संचालन करता है।

viii. प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता।

(ख) मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथनिम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने के उपाय।
(ii) विश्राम प्रयोजनों के लिए मार्ग के किनारे सुविधाओं का विकास। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे सुविधाओं के विकास के लिए 11 फरवरी, 2021 को नीति दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, वेसाइड एमेनिटीज (डब्ल्यूएसए) में ट्रकों/माल वाहनों के लिए सुविधाओं में ट्रक पार्किंग, ट्रक ड्राइवरों के लिए ढाबा, शौचालय सुविधाएं (महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांगजनों के लिए अलग), कूड़ेदान, शिशु देखभाल कक्ष, पीने का पानी,प्राथमिक उपचार बॉक्स, कियोस्क के रूप में स्थानीय कारीगरों के लिए समर्पित क्षेत्र, भूदृश्य, और सुरक्षा जागरूकता कॉर्नरशामिल हैं। अब तक राजमार्ग प्राधिकरणों द्वारा 182 डब्ल्यूएसए संबंधी कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें से 48 कार्यशील हैं।

ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में आवागमन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

i. ढाबे/रेस्टोरेंट/फूड कोर्ट/भोजनालय
ii. शौचालय की सुविधा
iii. शिशु देखभाल कक्ष
iv. कार/बस पार्किंग
v. प्राथमिक चिकित्सा/चिकित्सा कक्ष
vi. बाल देखभाल कक्ष
vii. ट्रक पार्किंग
viii. पेयजल सुविधा
ix. सुविधा स्टोर, आदि।

*****